न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,

जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 707 / 2022

अनवान : –

1. दीपसिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपुत निवासी मुन्सरी त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. रामकुमार सिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
3. सुनिल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
4. सुमेरसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
5. रमेश कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
6. सरोज कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
7. किरण कंवर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
8. सायर कंवर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
9. सरस्वती पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
10. अंतर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
11. राजेश कंवर पुत्री सन्तोष कंवर जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
12. राकेश कंवर पुत्री सन्तोष कंवर जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**

श्री सुबोध शर्मा **प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः 23/01/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार [illegible] रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 125 / 116 के किला न0 43 / 1, 61 / [illegible] की कुल तादादी 8.[illegible] है0 भूमि में से

वादी की माता मृतक सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह के 1829/8328 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी की माता सुगनकंवर पत्नी दुलसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादीगण है तथा वादी के भाई बिरजुसिंह पुत्र दुलसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी स0 3 ता 6 है जिसका उक्त भूमि में हक हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 13 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

वकील वादी ने सुगन कवंर पत्नी दुल सिंह के वारिसान की सूची एवं साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 125/116 के किला न0 43/1, 61/1 की कुल तादादी 8.3250 है0 भूमि में से वादी की माता मृतक सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह के 1829/8328 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक सुगन कंवर के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 5 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः प्रस्तुत वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 125/116 के किला न0 43/1, 61/1 की कुल तादादी 8.3250 है0 भूमि में से वादी की माता मृतक सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह के 1829/8328 हिस्सा भूमि में से सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से वादी दीपसिंह को 0.500 है0 भूमि का तथा 0.886 है0 भूमि में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को तथा शेष भूमि में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं0 3 ता 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 707 / 2022

अनवान : –

1. दीपसिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपुत निवासी मुन्सरी त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. रामकुमार सिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
3. सुनिल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
4. सुमेरसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
5. रमेश कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
6. सरोज कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
7. किरण कंवर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
8. सायर कंवर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
9. सरस्वती पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
10. अंतर पुत्री दुलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
11. राजेश कंवर पुत्री सन्तोष कंवर जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
12. राकेश कंवर पुत्री सन्तोष कंवर जाति राजपूत निवासी मुन्सरी नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वांदी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 125 / 116 के किला न0 43 / 1, 61 / 1 की कुल तादादी 8.3250 है0 भूमि में से वादी की माता मृतक सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह के 1829 / 8328 हिस्सा भूमि में से सुगन कंवर पत्नी दुलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से वादी दीपसिंह को 0.500 है0 भूमि का तथा 0.886 है0 भूमि में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को तथा शेष भूमि में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं0 3 ता 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर